

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्दा दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

दीवानी अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 239/2024

उग्रसैन पुत्र कुलदीप जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम

1. कुलदीप पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. प्रहलाद पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. विकास पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. विमला पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. सुमन पत्नी संजय जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 05.09.2024

वादी की ओर से श्री अरविन्द नैण अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री परमजीत सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.09.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क.) वादी उग्रसैन व प्रतिवादीया संख्या 5 सुमन को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 9 के एच.आर. के खाता संख्या 81/18 में कुल 2.530 हैक्टर में कुलदीप के 1/4 हिस्सा व प्रहलाद के 1/4 हिस्सा में से 0.190 हैक्टर कुल 0.8225 हैक्टर ब0हि0ब0, चक नम्बर 9 के एच.आर. के खाता संख्या 14/17 में कुल 3.795 हैक्टर आराजी में से प्रहलाद के नाम की 1/2 हिस्सा भूमि ब0हि0ब0, चक नम्बर 3 सी. डी.आर. के खाता संख्या 9/15 में प्रहलाद के नाम की कुल 0.506 हैक्टर भूमि में से प्रहलाद के नाम 0.253 हैक्टर आराजी ब0हि0ब0।

(ख.) प्रतिवादीया संख्या 4 बिमला को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 सी.डी.आर. के खाता संख्या 205/148 में विकास कुमार के नाम की 1.518 हैक्टर आराजी।

उपरोक्त अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 9 के एच.आर. के खाता संख्या 81/18 में से प्रतिवादी संख्या 1 कुलदीप का नाम कलमजन व प्रतिवादी संख्या 2 प्रहलाद का हिरसा कम, इसी चक के खाता संख्या 14/17 व 9/15 में से प्रतिवादी संख्या 2 प्रहलाद का नाम कलमजन, चक नम्बर 3 सी.डी.आर. के खाता संख्या 205/148 में से प्रतिवादी संख्या 3 विकास का नाम कलमजन किये

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/वाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई



(स्वाति गुप्ता)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---